

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 239 / 2023 दिनांक :25.01.2023

श्रीमती रंजना-II (RJ0912), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर को दिनांक 08.02.2023 से 10.02.2023 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती रंजना की अनुपस्थिति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर के पद पर ही होने की संभावना है।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 25.01.2023

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/83/2015/547

दिनांक :25.01.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर को उनके पत्रांक 116 दिनांक 03.01.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती रंजना-II (RJ0912), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर ।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, सीकर ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर ।


सहायक रजिस्ट्रार